हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
xxxx

संख्या: पी·डब्ल्यू·डी·(ए)-बी(13)39/94 तारीख: 21-1-97

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत) (वर्ग-I राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और आरम्भ: 1(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत) (वर्ग-I) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां: 2(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 1-89/73-पी·डब्ल्यू·ए· तारीख 27-2-74 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट ऐसिसटैन्ट इन्जिनियर (ईलैक्ट्रीकल) रिक्रूटमैन्ट एण्ड प्रोमोशन रूल्ज, 1974 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त निरसित सुसंगत इस नियम (1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

पी·एस·राणा
वित्तायुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

-2-

12

पृ॰सं० पी॰डब्ल्यू॰डी॰-ए-बी(13)39/74 तारीख: 21-1-97

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि॰प्र॰ सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हि॰प्र॰।
3. सचिव, हि॰प्र॰ लोक सेवा आयोग, शिमला-2।
4. प्रमुख अभियन्ता, हि॰प्र॰ लोक निर्माण विभाग, शिमला-1।
5. मुख्य अभियन्ता, हि॰प्र॰ लोक निर्माण विभाग, धर्मशाला।
6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हि॰प्र॰ शिमला-3।
7. उप महालेखाकार (ए एण्ड ई), हि॰प्र॰ शिमला-3।
8. नियन्त्रक, हि॰प्र॰ मुद्रणालय शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।
9. सहायक विधायी प्रारूपकार, (राजभाषा), विधि विभाग शिमला-2।
10. सरक्षक नति (300 प्रतियां)।

(हस्ताक्षर)

(अवर सचिव, लोक निर्माण),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

13

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (विद्युत) (राजपत्रित/श्रेणी-1) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम — सहायक अभियन्ता (विद्युत)

2. पदों की संख्या — 18 (अठारह)

3. वर्गीकरण — [illegible]

4. वेतनमान (विस्तृत रूप से अंकित करें) — (i) [illegible] वेतनमान रु० 2200-70-2550-75-[illegible]-100-4000

   (ii) रु० 3000-100-4000-125-4500

   यह वेतनमान सहायक अभियन्ता (विद्युत) के रूप में 8 वर्षों की नियमित सेवा या 31-3-91 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवा के पूरा होने पर दिया जाएगा।

   (iii) रु० 3700-100-4000-125-5000-150-5300

   यह वेतनमान सहायक अभियन्ता के रूप में 18 वर्षों की नियमित सेवा या 31-3-91 तक की गई तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवा के पूरा होने पर दिया जाएगा।

5. चयन पद अथवा अचयन पद — चयन

6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु — 45 वर्ष या इससे कम।

   परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी।

   परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा,

   परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा

-2/

अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में इतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है,

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गये थे।

(टिप्पणी):-

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें की पद(पदों) को यथास्थिति आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

7· सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :

(क) अनिवार्य

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विद्युत इंजिनियरिंग में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष।

(ख) वान्छनीय अर्हताएं

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

-3/

8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं:	आयु ... लागू नहीं शैक्षिक अर्हताएं ... लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता:	1) सीधी भर्ती द्वारा ... 30% 2) प्रोन्नति द्वारा ... 70%
11.	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा :	<u>निम्नलिखित में से :-</u> <u>प्रोन्नति द्वारा:</u> (I) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) जिनका ग्रेड में 7 वर्षों का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक की गई निरंतर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल हो और अनहित कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) जिनका ग्रेड में 15 वर्षों का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक की गई निरंतर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल हो ----50% (II) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) जिन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रूप में अपने सेवाकाल के दौरान ए०एम०आई०ई० या इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो और जिनका ग्रेड में तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक की गई निरंतर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल हो:- ----10%

-4/

(iii) कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत जिनके पास कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के पद में नियुक्ति के समय विद्युत इंजीनियरिंग की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि हो और जिनका ग्रेड में 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31.3.91 तक की गई निरंतर तदर्थ सेवा सहित नियमित सेवाकाल हो ---- 10 %

सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा पद भरने के लिए निम्न रोस्टर होगा :-

बिन्दु संख्या	वर्ग
प्रथम पद	कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा/ अनर्हित
द्वितीय पद	यथा --
तृतीय पद	सीधी भर्ती
चतुर्थ पद	कनिष्ठ अभियन्ता ए.एम.आई -ई.
पाँचवाँ पद	कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा/ अनर्हित
छठा पद	सीधी भर्ती
सातवाँ पद	कनिष्ठ अभियन्ता स्नातक/ सीधी भर्ती
आठवाँ पद	कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा/ अनर्हित
नवाँ पद	सीधी भर्ती
दसवाँ पद	कनिष्ठ अभियन्ता डिप्लोमा/ अनर्हित

टिप्पणि

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी :-

उन सभी मामलों में जिनमे कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31.3.91) तक की गई तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किया जाने के पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ।

-5/

परन्तु उन सभी पदधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी ।

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

(स्पष्टीकरण):-
अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व 31.3.91 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में की जाएगी ।

परन्तु 31.3.91 तक तदर्थ सेवा की गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना :	हि॰प्र॰ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा :	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित होगा ।

OCTAVO SIXMO QUARTO

14. ... व्यक्तियों के लिए अर्हता:

अभ्यार्थी का निम्नलिखित होना आवश्यक है:-

(क) भारत का नागरिक, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व, भारत में स्थाई निवास के आशय से आया हो, या
(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, युगांडा, यूनाईटिड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पहले तन्जानिया और जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जेयर के ... और इथोपिया से, भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है,

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यार्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

ऐसे अभ्यार्थी को, जिनके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा/साक्षात्कार में प्रविष्ट किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:

सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

पाठ्यक्रम, यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. आरक्षण:

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा:

(1) सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम 1976 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित होगी, अन्यथा वह निम्नलिखित के लिए पात्र नहीं होगा:-

(i) आगामी दक्षता रोध पार करने के लिए,

(ii) परिवीक्षा अवधि के पूर्ण होने के पश्चात भी स्थायीकरण के लिए, और

(iii) अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए

परन्तु उस अधिकारी से जिसने इन नियमों के अधिसूचित किये जाने से पूर्व, किन्हीं नियमों के अधीन पूर्णतः या अंशतः विभागीय परीक्षा पारित की है, यथा-स्थिति पूर्णतः या अंशतः परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि ऐसे अधिकारी से जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व, कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च 197? को 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, उससे इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की [illegible]।

परन्तु यह और भी कि ऐसे अधिकारी को जिसके लिए इन नियमों के अधिसूचित किए जाने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा विहित नहीं की गई थी और जिसने 1 मार्च 1976 को 45 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी, उससे 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी,

(i) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए, और

(ii) परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात स्थाईकरण के लिए।

(2) किसी अधिकारी से अपनी प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में उच्चतर पद पर प्रोन्नति पर विभागीय परीक्षा पारित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उसने निम्नतर राजपत्रित पद पर ऐसी परीक्षा पहले ही पारित कर ली है।

(3) सरकार, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, असाधारण परिस्थितियों में और कारणों को अभिलिखित करके, विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या भागतः छूट प्रदान कर सकेगी, परन्तु यह तब जब कि ऐसे अधिकारी पर उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किसी अन्य उच्चतर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भाव्य न हो।

18. शिथिल करने की शक्ति: जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

.....

Copy

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. PW-(C)A(3)3/94 DATED 21-1-97 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

No.PBW(A)B(13)39/94 Dated: Shimla-2.the 21-1-1997.

NOTIFICATION

The Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Engineer (Elect.)(Class-I Gazetted) in the Department of Public Works., Himachal Pradesh as per Annexure- "A" attached to this notification namely;-

1. Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department Assistant Engineer (Elect.) (Class-I Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996.

(2) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.

2. (1) The Himachal Pradesh Public Works Department Assistant Engineer (Elect.) Recruitment and Promotion Rules, 1974 notified vide the Notification No. 1-89/73 PWA, dated 27.2.1974 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.

By Order

P.S.Rana
FC-cum-Secretary(PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

2

2

Endst. No. PBW(A)B(13)39/94 Dated: the 9th -1- 1997

Copy forwarded to the :

1. All the Administrative Seretaries to the Govt. of HP.
2. The Heads of Deptt. in the H.P.
3. Controller, Printing and Stationery, HP for publication in the H.P.Rajpatra. He is also requested to supply twenty five copies of rules to this department.
4. The Engineer-in-Chief, HP,PWD Shimla-1.
5. The Chief Engineer(N), HP,PWD Dharamshala.
6. The Accountant General (Audit) H.P.Shimla-3.
6. Joint Secretary(Per.) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
7. ALD (Hindi) Law Department HP, Shimla.
8. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimal-2.
10. Spare Copies 300.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

(3) (3)

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (ELECT.) (GAZETTED) CLASS-I IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the post: Assistant Engineer (Elect.)

2. Number of the posts: 18 (Eighteen)

3. Classification: Class-I (Gazetted)

4. Scale of pay:
(i) Basic entry pay scale Rs.2200-70-2550-75-3000-100-4000.
(ii) Rs.3000-100-4000-125-4500 This scale shall be awarded after the completion of 8 years of regular service or regular combined with continous adhoc (rendered upto 31.3.91) service as an AE (Elect.).
(iii) Rs.3700-100-4000-125-5000-150-5300. This scale shall be given after comoletion of 18 years of regular service or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service as an AE (Elect.).

5. Whether selection post or Non- Selection post: Selection

6. Age for direct recruitment: 45 years and its below.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government.

--2--

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporation/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

NOTE: (i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits:	(a) Essential qualification:- Must possess degree in Electrical Engineering or its equivalent from an Institution/University recognised by the central / state Govt. (b) Desirable qualification:- Knowledge of customs manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees.	i) Age: NA Educational Qualification: NA
9. Period of probation, if any :	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	30% by direct recruitment and 70% by promotion.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst:- (i) Junior Engineer (Elect.) having 7 years regular or regular combined with continuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade and unqualified Junior Engineer (Elect.) with 15 years regular service or regular combined with cotinuous adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade. ..... 50% (ii) Junior Engineer (Elect.) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Elect.) having 3 years regular service or regular combined with continuos adhoc (rendered upto 31.3.91) service in the grade. .....10% (iii) Junior Engineer (Elect.) who possess degree in Elect. Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Elect.) having 3 years regular service or regular combined with continuos adhoc (rendred upto 31.3.91) service in the grade. .....10% The roster for filling up of the posts by direct recruitment and by promotion will be as under:-

Point No.	Category
1st Post	JE. Dip/unqualified
2nd Post	-----do-----
3rd Post	Direct.
4th Post	JE/AMIE -
5th Post	JE.Dip/unqualified
6th Post	Direct.
7th Post	JE graduatae/Direct
8th Post	JE.Dip/unqualified
9th Post	Direct
10th Post	JE.Dip/unqualified

--4--

In all cases of promotion the adhoc service rendered in the feeder post upto 31.3.91, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that in all the cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis up to 31.3.91) in the feeder post, in view of the provisions referred to above all person senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration ;

Provided that all incumbments to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion .

Explanation:-

The last proviso shall not rendered the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior

ineligible persons happened to be exserviceman recruited under the provisions of rule-3 of Demobilised armed forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Techenical Services) Rules 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provision of Rule-3 of Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post upto 31.3.91, if any,prior to the regular appointment against such post shall be taken into acccount towards the length of service :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered upto 31.3.91 shall remain unchanged .

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition :	DPC to be presided over by the Chairman HP, Public Service commission or a member their to be nominated by him.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.	As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment :	A candidate for appointment to any service or post must be : (a) a citizen of India, or (b) a subject of Nepal, or (c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetian refugee who came over to India before Ist January,1962 with the intention of permanently settling in India.

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Shri-Lanka, East African Countries of Keneya, Uganda the United Republic of Tanzania (Formerly Tanzanyika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India ;

Provided that a candidate belonging to categories (b),(c),(d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govt. of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by appointing authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligiblity certificate has been issued to him by the Govt. of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment :

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if HP. Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so consider necessary and expediant by a written test or practical test the standard/ syllabus, etc of

which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation : The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/ Scheduled Tribes / Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination:- (1) Every member of the service shall pass the Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules,1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:-

(i) Cross the efficiency bar next due.

(ii) Confirmation in the service even after completion of probationery period, and

(iii) Promotion to the next higher post;

Provided that an officer who has qualified the Departmental Examination in whole or in part prescribed under any rules before the noitification of these Rules shall not be required to qualify the whole or in part, of the examination as the case may be;

Provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the Notification of these Rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March,1976 shall not be required to qualify the Departmental Examination

prescribed under these rules. Provided further that an officer for whom no Departmental Examination was prescribed prior to the notification of those Rules and who had not attained the age of 45 years on 1.3.1976 shall not be required to qualify the Departmental Examination prescribed under the rules after attaining the age of 50 years for the purpose of (i) Crosing the Efficiency Bar next due and (ii) Confirmation in the service after completion of the probationery period.

(2) An officer of promotion to higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower/gazetted post.

(3) The Government may in consultation with the Himachal Pradesh Public Service commission, grant in exceptional circumstances and for reason to be recorded in writing exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any class or category of persons from the Departmental part provide that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

18. Power to Relax : Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.S.C., relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्या पी.वी.डब्ल्यू.(ए)–ए(3)–1/2005 तारीख : शिमला–2, 12 दिसम्बर, 2005

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी.वी.डब्ल्यू.–ए–बी(13)–39/94 तारीख 21.1.97 द्वारा अधिसूचित और अधिसूचना संख्या पी.वी. डब्ल्यू.–ए–ए(3)–1/2005 तारीख 23.6.2005 द्वारा संशोधित, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (बिद्युत) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (बिद्युत) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध "क" का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (बिद्युत) वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध "क" में:–

(1) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:–

"21 (इक्कीस)"

(2) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:–

(क) 7000–220–8100–275–10300–340–12000–375–13500 रूपये (8000/– रूपये के आरम्भिक प्रारम्भ के साथ–प्रवेश वेतनमान)

(ख) 10025–275–10300–340–12000–375–13500–400–15100 रूपये (प्रवेश वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा के पश्चात्)

(ग) 12000–375–13500–400–15500 रूपये (प्रवेश वेतनमान में 9 वर्ष की सेवा के पश्चात्)

४ (25)

(ख) 14300–400–15900–450–18150 रुपए
(प्रवेश वेतनमान में 14 वर्ष की सेवा के पश्चात्)

(3) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात–

"निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा–

(i) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से, जिनका 7 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 7 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो और अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से, जिनका कम से कम 15 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 15 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

.........50%

(ii) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से जिन्होंने कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) अपने सेवाकाल के दौरान ए.एम.आई.ई. या इसके समतुल्य उपाधि प्राप्त की हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

.....10%

(iii) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से जिनके पास कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रूप में नियुक्ति के समय इलैक्ट्रीकल (Electrical) ईन्जीनियरिंग या इसके समतुल्य स्नातक की उपाधि प्राप्त हो और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा सहित 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो।

.....10%

सीधी भर्ती द्वारा और प्रोन्नति द्वारा पदों को भरने के लिए निम्न रोस्टर होगा, अर्थात :–

प्रथम पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
द्वितीय पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
तृतीय पद	सीधी भर्ती
चतुर्थ पद	ए.एम.आई.ई. कनिष्ठ अभियन्ता
पांचवा पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
छटा पद	सीधी भर्ती
सातवां पद	स्नातक कनिष्ठ अभियन्ता
आठवां पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता
नौवा पद	सीधी भर्ती
दसवां पद	डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ता/अनर्हित कनिष्ठ अभियन्ता

(रोस्टर प्रत्येक 10वें पद के पश्चात तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक की दी गई प्रतिशतता तक सभी प्रवर्गो को प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात रिक्ति उस प्रवर्ग से भरी जानी है जिसमें पद रिक्त होता है)

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात की गई थी, परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जाएंगें और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे:

परन्तु उन सभी पदधारियों को, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवम प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा /समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जायेंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो या जिसे एक्स-सर्विस मैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अधीन भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि (उस पद पर) तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती एवम प्रोन्नति नियमो के उपबन्धों के अनुसार की गई थी

परन्तु उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(4) स्तम्भ संख्या 14 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात—

"किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।"

(5) स्तम्भ संख्या 16 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगा।"

-/-

27

(6) स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित समय-समय पर संशोधित परीक्षा पास करनी होगी।"

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि तारीख: शिमला-2, 12 दिसम्बर ,2005

प्रतिलिपि प्रेषित है:-

1. प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-2।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ।
3. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2।
4. संयुक्त सचिव (कार्मिक / वित्त / विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
5. वरिष्ठ विधि अधिकारी (हिन्दी-।।।), विधि विभाग शिमला-2।
6. नियन्त्रक, मुद्रण एवम लेखा सामग्री विभाग, शिमला-5 को असाधारण राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करवाने की कृपा करें।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, हि०प्र० लोक निर्माण विभाग ।

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

46

(37)

(AUTHOTATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.PBW-A-A(3)-1/2005 DATED 12th Dec. 2005 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSITITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department

No. PBW-A-A(3)-1/2005 Dated : Shimla-2, the 12th Dec., 2005

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Elect) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 1997 notified vide this Department notification number PBW-(A)B(13)-39/94, dated 21.1.97 and further amended vide this department notifiction number PBW-A-A(3)-1/2005, dated 23.6.2005, namely:-

Short title and commencement	1.	(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Elect.) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (Second amendment) Rules, 2005.
		(ii)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-"A"	2.		In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Elect.) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997;
		(1)	For the existing provisions against Col.No.2, the following shall be substituted namely:- "21 (Twenty One)"
		(2)	For the existing provisions against Col.No.4, the following shall be substituted, namely:- Rs.7880-220-8100-275-10300-340-12000-375-13500 (with initial start of Rs.8000/- entry scale)

Contd-/..2

(38)

(b) Rs.10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100 (After 4 years service in the entry scale).

(c) Rs.12000-375-13500-400-15500 (After 9 years service in the entry scale)

(d) Rs.14300-400-15900-450-18150 (After 14 years service in the entry scale)

(3) For the existing provisions against Col.No.11, the following shall be substituted namely:-

i) Junior Engineer (Elect.) having 7 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade and unqualified Junior Engineer (Elect.) with 15 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade. 50%

ii) Junior Engineer (Elect.) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Elect.) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade. 10%

iii) Junior Engineer (Elect.) who possess degree in Electrical Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Elect.) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade. 10%

The roster for filling up of the posts by direct recruitment and by promotion will be as under:-

1st post	JE Dip/Unqualified
2nd post	---do---
3rd post	Direct

Contd-/.....3

4th post	JE AMIE
5th post	JE Dip/Unqualified
6th post	Direct
7th post	JE Graduate
8th post	JE Dip/Unqualified
9th post	Direct
10th post	JE Dip/Unqualified

(The roster will be repeated after every 10th post till the representation to all the categories is achieved upto the given percentage. Thereafter, the post is to be filled up from the category which vacates the post).-

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:-

Provided that all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service), Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service; if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and is accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se- seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

(4) For the existing provisions against Col.No.14, the following shall be substituted namely:-

"A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

(5) For the existing provisions against Col.No.16, the following shall be substituted namely:-

"The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time."

Contd/-...... 5

(6) For the existing provisions against Col.No.17, the following shall be substituted namely:-

"Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the HP Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time."

By Order

Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst.No. PBW-A-A(3)-1/2005 Dated : Shimla-2, the 12th Dec., 2005

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Engineer-in-Chief, HPPWD Shimla-171001.
2. All the Chief Engineers, HP PWD.
3. All the Superintending Engineers, HP PWD.
4. The Secretary, HP PSC, Shimla-2.
5. Joint Secretary (Personnel/Finance/Law), Govt. of H.P., Shimla-2.
6. Sr.Law Officer (Hindi),Law Deptt. HP Sectt., Shimla-2.
7. The Controller, Printing and Stationery, HP Govt. Press, Shimla-5 for publication in the HP Rajpatra. He is requested to supply copies of the Rajpatra to this Department.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

...

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION No. PBW-A-A(3)-1/2005 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE-348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
'Public Works Department'
....

No. PBW-A-A(3)-1/2005 Dated: Shimla-2, the 23rd June, 2005.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer(Electrical), Class-I(Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this department notification No. PBW(A)B(13)-39/94 dated 21.1.1997 namely :-

Short title and commencement.	1.	(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Elect.) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2005
		(ii)	These rules shall come into force with immediate effect.
Amendment of Annexure-"A"	2.		In annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer(Elect.) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997, for the existing provision, against Column No. 10, the following shall be substituted, namely :- "Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods."

By Order

Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. PBW-A-A(3)-1/2005 Dated Shimla-2, the 23rd June, 2005.
Copy for information and necessary action to :-

1. The Engineer-in-Chief, H.P. PWD, Shimla-1.
2. All the Chief Engineers, H.P. PWD.

Contd./-Page-2-

3. All the Superintending Engineers/Executive Engineers, H.P.PWD(Civil)/Mech./Elect.).
4. The Secretary, H.P.Public Service Commission, Shimla-2.
5. The Joint Secretary(Personnel/Finance/Law) H.P. Shimla-2.
6. The Accountant General, H.P. Shimla-171003.
7. Sr.Law Officer(Hindi), Law Department, H.P.Shimla-2.
8. The controller, Printing and Stationery, HP.P. Govt.Press, Shimla-5 for publication in the Rajpatra, H.P. He is requested to supply five copies of the Rajpatra to this Department.

Under Secretary(PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

-0-

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्याःपी.डी.डब्लयू-ए-ए (3)-2/2005 तारीख : शिमला 2. 16 सितम्बर, ,2006

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी0बी0डब्लयू0-ए0-बी0(13)-39/94 तारीख 21.1.1997 द्वारा अधिसूचित और अधिसूचना संख्याः पी.डी.डब्लयू-ए-ए-(3)-1/2005 तारीख 23-6-2005 तथा 12-12-2005 द्वारा संशोधित, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत) (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए और संविदा नियुक्ति के लिए करार के प्रारूप उपाबन्ध-"ख" के अनुसार निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत) (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति (तृतीय संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

उपाबन्ध "क" का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत) (वर्ग-I, राजपत्रित) भर्ती एवम प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध "क" में:-

(1) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

(क) "30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर सम्बन्धित भर्ती अधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से; और

(ख) 70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।"

(2) स्तम्भ संख्या 15 के नीचे, एक नया स्तम्भ 15-क, निम्नलिखित उपबन्धों के साथ निगमित किया जाएगा, अर्थात:-

<u>15-क</u> संविदा के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए चयन और नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें :-

-2-

(क) संविदा के आधार पर चयन सम्बन्धित भर्ती अधिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा ।

(ख) प्रमुख अभियन्ता (इन्जीनियर-इन- चीफ) रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को दो अग्रणी समाचार पत्रों में उसे विज्ञापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा और विहित अर्हताओं और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं की अपेक्षा के आधार पर बढाया जायेगा और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के कार्य, आचरण और कार्यक्षमता के उच्च स्तर के अध्यधीन और बढाया जाएगा। तथापि उनकी सेवायें संविदा अवधि के पूर्ण होने से पूर्व एक मास का नोटिस जारी करके या नोटिस के बदले में एक मास का वेतन देकर यदि उनकी सेवाएं कार्य की अनुपलब्धता के कारण अपेक्षित नहीं है, समाप्त की जा सकेगी, जिसके लिए पहले आया, अन्त में जाएगा (फर्स्ट कम लास्ट गो) के सिद्धान्त का अनुसरण किया जाएगा। उनकी सेवाएें संविदा के दौरान भी समाप्त की जा सकेंगी यदि उनका आचरण और कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, जिसके लिए सुनवाई का सम्यक अवसर दिए जाने के लिए नोटिस दिया जाएगा।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को नियत परिलब्धियां, जैसी सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाएं, संदत्त की जाएंगी।

(ङ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावे करने का कोई अधिकार नही होगा।

(च)(i) नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी है यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है ।

(ii) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

(iii) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नहीं होगा।

(iv) संविदा के आधार पर नियुक्तियां कठिन और जन–जातीय क्षेत्रों में कार्यालय काम (आफिस जॉबज) में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार की जायेगी। संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा। तथापि संविदा के नवीकरण, यदि कोई हो, के समय व्यक्ति की नियुक्ति प्रशासनिक आधारों पर किसी अन्य स्थान या कार्यालय में की जा सकती है।

(v) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जायेगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

(vi) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का अभ्यर्थी को यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित कर्मचारियों को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(vii) नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के चयन के पश्चात् उसे विभाग द्वारा यथा अधिकथित समय–समय पर यथा संशोधित इन नियमों से उपाबन्ध 'ख' के रूप में संलग्न करार हस्ताक्षरित करना होगा।

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठाकन संख्याः पी.बी.डब्ल्यू–ए–ए–(3)–2/2005 तारीख : शिमला–2, 16 सितम्बर ,2006
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है:–

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2 सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2।
3 प्रमुख अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला–2 को 20 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।
4 समस्त मुख्य अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ।
5 नियन्त्रक, मुद्रण एवम लेखन सामग्री विभाग, शिमला–5 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 20 प्रतियां इस विभाग को भेजने की कृपा करें।
6 समस्त अधीक्षण अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग।
7 महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश शिमला–3।
8 अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव (वित्त/कार्मिक/विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।
9 सहायक विधि परामर्शी–कम–अवर सचिव, विधि विभाग (हिन्दी), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2।
10 200 अतिरिक्त प्रतियां ।

अवर सचिव (लोक निर्माण विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

•••

उपाबन्ध "ख"

सहायक अभियन्ता (विद्युत) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निष्पादित किए जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति ....पुत्र/पुत्री श्री........ ....निवासी ...., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, (जिसे इसमें इसके पश्चात 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के मध्य आज तारीख.. को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया (वचनबद्ध किया) है और प्रथम पक्षकार ने सहायक अभियन्ता (विद्युत) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दे दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक अभियन्ता (विद्युत) के रूप में ....से प्रारम्भ होने और .... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात .... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नही होगा।

2. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को नियत परिलब्धियां, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं, संदत्त की जाएंगी ।

3. इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा।

4. नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी है यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है।

5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (कार्य) से अनुपस्थिति होने की अवधि के लिए वेतन लेने का हकदार नही होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्तियां कठिन और जन-जातीय क्षेत्रों में या आफिस जॉबज में रिक्त पदों पर आवश्यकतानुसार की जाएंगी । संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा। तथापि संविदा के नवीकरण, यदि कोई हो, के समय व्यक्ति की नियुक्ति प्रशासनिक आधारों पर किसी अन्य स्थान व कार्यालय में की जा सकती है।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जायेगी। महिला अभ्यर्थियों का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

-2-

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित कर्मचारियों को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

1. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर
(प्रथम पक्षकार)

स्थान:
दिनांक:

2. न्योक्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्षकार)

गवाह:-

1. ____________________
____

((पूरे नाम व पत्ते सहित हस्ताक्षर))

2. ____________________
____
____

(पूरे नाम व पत्ते सहित हस्ताक्षर)

...

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO.PBW-A-A(3)-2/2005) DATED - -2006 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department

No.PBW-A-A(3)-2/2005 Dated: Shimla-2, the 16 th September, 2006.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer(Electrical), (Class-I, Gazetted) , Recruitment and Promotion Rules, 1997 notified vide this department notification No.PBW(A)B(13)-39/94 dated 21-1-1997 and further amended vide notification No.PBW-A-A(3)-1/2005 dated 23-06-2005 and 12-12-2005 and agreement bond for contract appointment as Annexure-"B" attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement	1.	(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical), (Class-I, Gazetted), Recruitment and Promotion (Third amendment) Rules, 2006.
		(ii)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Amendment of Annexure-"A"	2.		In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer(Electrical), (Class-I, Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1997 ;
		(1)	For the existing provisions against Col. No. 10, the following shall be substituted, namely:-

(a) 30% by direct Recruitment *or* on contract basis through the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission; and

(b) 70% by promotion.

(2) Below Col. No.15, a new Col. No.15-A with the following provisions shall be incorporated, namely:-

15-A Selection for appointment to post on contract basis and terms and conditions of appointment.

(a) Selection on contract basis shall be made by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission.

(b) The Engineer-in-Chief, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis, will place requisition with H.P. Public Service Commission for advertising the same in two leading news papers and invite application from the candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(c) Candidate selected for appointment on contract basis will be initially appointed for one year which will be extended depending upon requirement of the services of such appointees and further subject to high standard of work, conduct and performance of such appointees. However, their services may be terminated even prior to the completion of contract period by issuing of one month notice or payment of one month wages in lieu of the notice if their services are not required due to non availability of work for which principle of first come last go shall be followed. Their

services may also be terminated during the contract period if their conduct and performance is not found satisfactory for which notice with due opportunity of being heard shall be given.

(d) Contract appointees shall be paid fixed emoluments per month as prescribed by the Govt. from time to time.

(e) Contract appointees so selected under these Rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.

(f)(i) The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good.

(ii) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after rendering one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.

(iii) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

(iv) Contract appointments will be made against vacant posts in difficult and tribal areas or the office jobs as per requirement. Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another. However, at the time of renewal of contract if any, such appointee can be appointed at different place or office on administrative grounds.

(v) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt. / Registered Medical Practioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will be considered temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(vi) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular staff members.

(vii) After selection of a candidate for appointment, he/she shall have to sign an agreement as laid down by the department attached as Annexure-"B" to these Rules or as amended from time to time.

By Order,

Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No.:PBW-A-A (3)-2/2005 Dated:Shimla-2, the 16th Sep., 2006.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Secretary, Himachal Pradesh, Public Service Commission, Shimla-2.
3. The Engineer-in-Chief, HP PWD, Shimla-171001 with 20 spare copies.
4. All the Chief Engineer, HP PWD.
5. The Controller, Printing & Stationery, H.P. Government Press, Shimla-5 for publication in the Rajpatra. He is also requested to supply 20 copies of Rajpatra to this department.
6. All the Superintending Engineers, HP PWD.
7. The Accountant General, Himachal Pradesh, Shimla-3.
8. The Additional/Joint Secretary (Fin./Personnel/Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
9. ALD-cum-Under Secretary, Law Department (Hindi) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
10. Spare copies 200.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

***

85

ANNEXURE "B"

FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE ASSISTANT ENGINEERS (ELECTRICAL) AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

This agreement is made on this .... day of .... in the year ....between Smt./Shri...................................S/o/D/o Shri..resident of .... contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh (hereinafter called the SECOND PARTY).

WHEREAS, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Engineer (Electrical) on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Engineer (Electrical) for a period of 1 year commencing on day of .... and ending on the day of .... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on....................... and information notice shall not be necessary.
2. Contract appointees shall be paid fixed emoluments per month as prescribed by the Government from time to time.
3. Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim regularization or permanent absorption in Government job.
4. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.
5. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules.
6. Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for wages for the period of absence from duty.

-2-

86

7. Contract appointments will be made against vacant posts in difficult and tribal areas or the office jobs as per requirement. Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another. However, at the time of renewal of contract if any, such appointee can be appointed at different place or office on administrative grounds.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt. /Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will be considered temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness by an authorized Medical Officer/ Practitioner.

9. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular staff members.

1. **Signature of the Contract Appointee. (First Party)**

2. **Signature of the Appointing Authority (Second Party)**

Place:
Date:

Witnesses:

1.....................................
....
(Sign. with full Name & address)

2.....................................
....
(Sign. with full Name & address)

***

183
123

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्या:पी0बी0डब्ल्यू0–ए–ए(3)–2/2005 तारीख शिमला–9, 12 जनवरी, 2009.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(ए)–बी(13)39/94 तारीख 21–1–1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत) वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत) वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध–"क" का संशोधन। 2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत) वर्ग–I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1996 में,–

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"22 (बाईस)।"

(ख) स्तम्भ संख्या 10 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(i) पच्चीस प्रतिशत सम्बद भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर; और

(ii) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।" ।

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"निम्नलिखित में से प्रोन्नति द्वारा:

i) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से जिनका सात वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित सात वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

... पचास प्रतिशत।

ii) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से जो कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रूप में सेवाकाल के दौरान ए0एम0आई0ई0 या इसके समकक्ष उपाधि प्राप्त कर लेते हैं और जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

.... दस प्रतिशत।

iii) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से, जो कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के रूप में नियुक्ति के समय इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष उपाधि रखते हों और जिनका तीन

वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

...... दस प्रतिशत।

iv) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) में से जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इलैक्ट्रीशियन के ट्रेड में दो वर्ष का प्रमाण–पत्र कोर्स किया हो और जिनका पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पन्द्रह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उपरोक्त स्तम्भ संख्या (i) में वर्णित प्रवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा।

... पांच प्रतिशत।

सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 20 बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगा:–

रोस्टर बिन्दु	प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा,सातवां, आठवां, चौहदवां, पन्द्रहवां, अट्ठहरवां, उन्नीसवां और	डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)

बीसवां	
चौथा, नौवां, दसवां, सोहलवां और सतरहवां	सीधी भर्ती
पांचवां और ग्यारहवां	स्नातक कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)
छठा और बारहवां	ए०एम०आई०ई० उपाधि धारक कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)।
तेहरवां	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण–पत्र धारक कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)।

(रोस्टर प्रत्येक बीसवें बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक समस्त प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात् पद को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ हो।)

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे

वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:– अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा,

सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0: यथोपरि। तारीख शिमला–2, 12 जनवरी, 2009.

1. समस्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2. प्रमुख अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, शिमला–2
3. प्रमुख अभियन्ता (रूपांकण एवं गुणवता), हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, शिमला–2
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिविल/विद्युत/यान्त्रिक हि0प्र0।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, शिमला–2
6. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन, हि0प्र0 शिमला–5, हिमाचल प्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन हेतू।
7. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. अतिरिक्त प्रतियां (60)

अवर सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

189

129

Authoritative English Text of this department Notification No.PW-A-A(3)-2/2005 dated...12-1-2009........ as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department.

No. PW-A-A(3)-2/2005 dated Shimla-2, the 12 th January, 2009.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified vide notification No. PBW(A)B(13)-39/94 dated 21-1-1997, namely:-

Short title and Commencement 1 (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (4th Amendment) Rules, 2009.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-"A" 2. In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996.

read

(a) For the existing provision the following shall be substituted;-
" 22 (Twenty two).

(b) For the existing provision against Column No. 10, the following shall be substituted;-
"a) 25 % by direct recruitment on regular basis or on contract basis through the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Public Service Commission; and

b) 75 % by promotion.

(c) For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted:-
By promotion from amongst:

i) Junior Engineer (Electrical) having 7 yea regular or regular combined with continuous adhoc service in the grade. ......50 %

ii) Junior Engineer (Electrical) who acquire AMIE or its equivalent degree during service as Junior Engineer (Electrical) having 3 years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade. ....10 %

iii) Junior Engineer (Electrical) who possess degree in Electrical Engineering or its equivalent at the time of appointment as Junior Engineer (Electrical) having 3 years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade. ....10 %

(iv) Junior Engineer (s) (Electrical) who possess 02 years Certificate Course in the trade of Electrician or its equivalent from a recognized I.T.I. or from an Institute duly recognized by the Central or State Government and having 15 years regular or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the category mentioned in Column No. (i) above. ....5 %

For filling up the posts of Assistant Engineer (Electrical), the following 20 points post based roster shall be followed:-

Roster Point No.	Category.
1st, 2nd, 3rd, 7th, 8th, 14th, 15th, 18th, 19th & 20th	Diploma holder Junior Engineer (Electrical)
4th, 9th, 10th, 16th & 17th	Direct Recruitment.
5th & 11th	Graduate Junior Engineer (Electrical).
6th & 12th	A.M.I.E. Degree holder Junior Engineer (Electrical)

190

191

13th	I.T.I. Certificate holder Junior Engineer (Electrical)
(The roster will be repeated after every 20th post till the representation to all the categories is achieved upto the prescribed percentage. Thereafter, the post is to be filled up from the category which vacates the post).	

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation:-The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after following proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

BY ORDER.

(Balram Sharma)
Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. As above, dated Shimla-2, the 12th January, 2009.

Copy forwarded to:

1. All the Secretaries to the Govt. of H.P.
2. The Engineer-in-Chief, HP PWD, Shimla-1.
3. The Engineer-in-Chief (Quality & Control), HP PWD, Shimla-1.
4. The Chief Engineers, HPPWD.
5. All the Superintending Engineers, HP PWD.
6. The Controller, Printing & Stationary H.P. Shimla-5 for publication in H.P. Rajpatra.
7. The ALR-cum-Under Secretary(Law) to the Govt. of H.P., Shimla-2.
8. Guard file.

Under Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

संख्याः पी0डब्ल्यू0–ए–ए(3)–6/2018 तारीख शिमला–2, 11-जून, 2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी0डब्ल्यू0–(ए)–बी(13)–39/94 तारीख 21 जनवरी, 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सहायक अभियन्ता (विद्युत), वर्ग– I (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत), वर्ग–I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (पाँचवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(ii) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध "क" का संशोधन । 2. हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत), वर्ग– I (राजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध "क" में:–

स्तम्भ संख्याः 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

" (क) अनिवार्य अर्हता (एं):–

एआईसीटीई/युजीसी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित /मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में नियमित पूर्ण कालिक उपाधि रखता हो या इंजीनियरिंग संस्थान (भारत) कलकत्ता से 31–5–2013 को या इससे पूर्व ए.एम.आई.ई. में नामांकित हो ।

(ख) वांछनीय अर्हता (एं) :

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता" ।

आदेश द्वारा

(जगदीश चन्द्र शर्मा)
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि । तारीख शिमला–2 11– जून. 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
2. सचिव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला–2
3. संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि–राजभाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार।
4. प्रमुख अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला–2
5. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन, हिमाचल प्रदेश शिमला–5. हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु ।
6. अतिरिक्त प्रतियां 10।

(विनय सिंह)
विशेष सचिव (लोक निर्माण)
हिमाचल प्रदेश सरकार

–:0:–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. PBW-A-A(3)-6/2018 DATED 11-06-2020 AS REQUIRED UNDER CLAUSE(3) OF ARTICLE 348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

Government of Himachal Pradesh
Public Works Department.

No. PBW-A-A(3)-6/2018 Dated Shimla-2 the 11-06 - 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996, notified vide this department notification No. PBW(A)B(13)-39/94 dated 21.01.1997, namely:-

Short title and Commencement	1(i)	These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical) Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (5th Amendment) Rules, 2020.
	(ii)	These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh
Amendment of Annexure "A"	2.	In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical) Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996; for the existing provision against Column No. 7, the following shall be substituted, namely:-

"(a) **ESSENTIAL QUALIFICATION(S) :**

Must possess regular full time degree in Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from an Institute/ University duly approved/ recognized by the AICTE/ UGC or AMIE enrolled upto on or before 31.5.2013 from Institute of Engineers (India) Calcutta.

Contd. Page-2

(b) **DESIRABLE QUALIFICATION(S):**

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in peculiar conditions prevailing in the Pradesh".

By Order,

Jagdish Chander Sharma
Principal Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst.No. As above Dated Shimla-2 11-06 - 2020

Copy is forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of HP, Shimla
2. The Secretary, HP, Public Service Commission Shimla-2
3. The JLR-Cum-Joint Secretary (OL) to the Government of HP, Shimla.
4. The Engineer-in-Chief, HP PWD Shimla-1
5. The Controller, Printing and Stationery, HP, Shimla-5 with a request to publish above notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
6. Guard file.

(Vinay Singh)
Special Secretary (PW) to the
Government of Himachal Pradesh.

JE 28-8-10 – Cont.
13-5-16 – Regular }